सरयू राय
निवर्तमान विधायक
झारखण्ड विधान सभा

दूरभाष : 0657–2431255
मोबाईल : 094311–14466
आवास : 42 जे0 रोड, बिष्टुपूर,
जमशेदपूर – 831 001

दिनांक 19.09.2010

सेवा में,
e[; fuokpu inkf/kdkjh
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली ।

विषय : झारखंड के 10–सिंहभूम (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव–2009 में व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा से कई गुणा अधिक व्यय करने के कारण और चुनाव आयोग को चुनाव व्यय का गलत विवरण देने के कारण श्री मधु कोड़ा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और भविष्य में उन्हें कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि चुनाव आयोग को दिए गए विवरण के अनुसार श्री मधु कोड़ा ने कुल 18,92,353/– (अठारह लाख बानबे हजार तीन सौ तीरपन) रुपया मात्र का व्यय किया है। परन्तु विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि कोड़ा घोटाला की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को ऐसे कई कागजात मिले हैं जिनका विष्लेषण करने पर पता चलता है कि उनके द्वारा किया गया चुनाव व्यय 10 करोड़ रुपया से अधिक है। यह तथ्य मैंने लोकसभा चुनाव–2009 के दौरान ही उजागर किया था।

झारखंड के विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन और अर्द्ध विज्ञापन के रूप में उनके चुनाव में जो सामग्रियां प्रकाशित एवं प्रसारित हुई है उनके बारे में भी मैंने उसी समय सवाल उठाया था और बताया था कि इस मद में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करीब 30 लाख रुपया का भुगतान हुआ है। इसमें से 8 लाख रुपया का भुगतान चेक से और शेष का भुगतान नगद हुआ है। यह भुगतान मार्च 2009 और अप्रील 2009 में विभिन्न तिथियों को हुआ है। भुगतान करने वाले हैं–विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा, राकेश प्रसाद, सौभिक भट्टाचार्य, राजेश पटेल, अनिल रंजन आदि। विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन प्रभाग ने केन्द्रीय जांच एजेंसियों को इस बारे में जो लिखित विवरण उपलब्ध कराया है उससे मेरा उस समय का अनुमान सही साबित हुआ है। इस विवरण के अनुसार मधु कोड़ा के चुनाव का विज्ञापन व्यय का कुल जोड़ 29 करोड़ 50 लाख रुपया आ रहा है। अकेले यही व्यय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव व्यय की अधिकृत सीमा 25 लाख रुपया से अधिक है।

इसके अलावा श्री मधु कोड़ा के चुनाव प्रचार में रांची के श्री राकेश प्रसाद द्वारा 65 लाख रुपये, चाईबासा के संजय पोद्दार द्वारा 7 करोड़ 30 लाख रुपये, चाईबासा के सुबोध दूबे द्वारा 4 करोड़ 90 लाख रुपये और रांची के भीम सिंह द्वारा 2 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किए जाने के कागजात घोटाला की जांच कर रही एजेंसियों को मिला है। ये सभी व्यय विनोद सिन्हा के निर्देश पर हुए हैं। इसका पुख्ता

प्रमाण मिल गया है कि बिष्टुपुर, जमशेदपुर के यूनियन मोटर्स से 500 मोटर साईकिलें बबलू घोष और बी.एन. गुप्ता नामक व्यक्तियों द्वारा मधु कोड़ा के चुनाव क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर लोकसभा चुनाव–2009 के समय खरीदी गई और बांटी गई। इस खरीद में 3 करोड़ 56 लाख रुपया का भुगतान नगद हुआ है। श्री बबलू घोष शारदा कंसलटेंट के मालिक हैं, जिसके खाता में बिष्टुपुर की सम्पति खरीदने के लिए मनोज पुनमिया की घोटालाबाज फर्म के एकाउंट से 13 करोड़ रुपये का स्थानांतरण कोड़ा घोटाला के दौरान हुआ है। बी.एन. गुप्ता विनोद सिन्हा के निजी कर्मचारी हैं।

इसके अलावा जमशेदपुर के भालोटिया मोटर्स से 40 बड़ी गाड़ियां 1 करोड़ 80 लाख रुपया में लोकसभा चुनाव–2009 के दौरान खरीदी गई है। इनमें 22 बोलेरो, 5 स्कार्पियो, 3 मैक्सी, 2 जाईलो, 3 टूरिस्टर और 1 सवारी आदि गाड़ियां शामिल है। ये गाड़ियां चाईबासा, नोवामुंडी जगन्नाथपुर, झींकपानी, खरसांवा, मनोहरपुर, सोनुआ, गोयलकेरा, आदित्यपुर के लोगों के नाम से खरीदी गई है जो मधु कोड़ा के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में है। । सभी का भुगतान नगद हुआ है और विनोद सिन्हा की फर्म क्वांटम पावरटेक से निकाले गए पैसे से हुआ है। इनमें से एक स्कार्पियों क्वांटम पावरटेक के नाम से भी खरीदी गई है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिज्ञों को अलग से चुनाव में प्रलोभन के रूप में करोड़ों रुपये दिए गए हैं जिनमें आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के एक निर्वाचित पदधारी और कई कारपोरेटरों के नाम शामिल हैं। ये प्रमाण और कागजात अब सीबीआई के पास भी पहुंच गए हैं। चुनाव में पैसा बांटने वालों में इस बारे में लिखित बयान दे दिया है।

महाशय, यह तो मधु कोड़ा के चुनाव व्यय का एक छोटा हिस्सा है, जो घोटाला की जांच कर रही सीबीआई समेत विभिन्न जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। विस्तृत जांच हो तो वास्तविक व्यय इससे कई गुणा अधिक होगा। यह व्यय झारखंड के कुख्यात मधु कोड़ा घोटाला में हासिल काला धन का हिस्सा है। झारखंड के राज्य सभा चुनाव–2010 में मीडिया में दिखाये गये स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर आपने कई विधायकों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला तो केन्द्रीय जांच एजेंसियों की छानबीन के आधार पर पकड़ाये ठोस कागजातों पर आधारित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव आचार संहिता 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव व्यय में अनियमितता के लिए किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य ठहराये जाने का कानून है।

अतः अनुरोध है कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण एवं घोटाला के काला धन का इस्तेमाल करने और मतदाताओं को प्रलोभन देकर प्रभावित करने के लिए श्री मधु कोड़ा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और इन्हें भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

सादर,

भवदीय

¼lj;w jk;½